REET 2025 LEVEL-2

वंदन बैच

POLITY

मूल अधिकार Part -2

LIVE 02-01-2024 07:00 PM

24वाँ संविधान संशोधन → 1971 → इस संशोधन के तहत गोलकनाथ वाद के निर्णय को निष्क्रिय कर दिया तथा अनु. 13(4) जोड़कर संविधान संशोधन को विधि से अलग कर दिया।

अनु. 13(4) → संविधान संशोधन "विधि" के अन्तर्गत नहीं आता है. संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है।

केशवानन्द भारती वाद → 1973 ⇒ संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की **मूलभूत संरचना** में संशोधन नहीं कर सकती है।

वामनराव वाद - 1981 ⇒ 24 अप्रैल 1973 से पहले 9वी अनुसूची में विषयों पर न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकते लेकिन बाद के विषयों पर न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है।

① समानता का मूल अधिकार

① अनु. 14 - राज्य भारत के भीतर किसी भी (व्यक्ति) को विधि के समक्ष समानता तथा विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जायेगा

विधि के समक्ष समानता	विधि के समान संरक्षण [भारत ने इस संकल्पना को अपनाया]
→ ब्रिटिश के संविधान में	→ USA के संविधान में
→ नकारात्मक संकल्पना है	→ सकारात्मक संकल्पना है
→ विधि के अधिन सभी व्यक्ति समान अर्थात सभी व्यक्तियो को अधिकार समान	→ सभी की विधि तक पंहुच → समान लोगो के साथ समान व्यवहार तथा असमान लोगो के साथ असमान व्यवहार
→ विशेषाधिकार नही	

* → अनु. 14 संविधान के मूल भूत संरचना में शामिल है

→ विशेषाधिकार
- → अनु. 361 → राष्ट्रपति व राज्यपाल को विशेषाधिकार
- → अनु. 361A → भारतीय मीडिया को विशेषाधिकार
- → अनु. 105 → सांसदों को विशेषाधिकार
- → अनु. 194 → विधायकों के विशेषाधिकार

+ विदेशी राजनयिक को विशेषाधिकार

अनु. 15 कुछ आधारों पर भेदभाव का निषेध

15(1) → राज्य नागरिकों को केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा।

15(2) → कोई नागरिक केवल · धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, तथा जन्मस्थान के आधार पर –

(i) दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल तथा मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश करने तथा

(ii) अंशत: या पूर्णत: सरकार द्वारा वित पोषित साधारण जनता के उपयोग हेतु: कुंआ, तालाब, स्नानघाट, सड़क तथा समागम के स्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जायेगा।